संख्या–415 / 18–2–14–63(ल0उ0) / 2012

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव/
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2– आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग उ0प्र0, कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 16 सितम्बर, 2014

विषय–उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति–2014

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या–206 / एस0पी0एस0–7 / क्रय नीति, दिनांक 19–3–2014 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 की उपधारा–3 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा–11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल महोदय अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के बिन्दु संख्या–4.8 के प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति–2014 को लागू किये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

2– अतः इस संबंध में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति–2014 संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न क्रय–नीति में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार समुचित प्रचार–प्रसार कराते हुए सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4– आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारियों / महाप्रबन्धकों को अपने स्तर से सूचित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5– समस्त निगम / सार्वजनिक उपक्रम / स्वायत्तशासी संस्थायें।

6– सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं इस विज्ञप्ति की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर इस विभाग को उपलब्ध करायें।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एच0 एम0 झा)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति–2014

(क) प्रस्तावना

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का प्रदेश के औद्योगिक विकास में बहुत योगदान है। इन इकाइयों से नागरिकों को रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति होती है और रोजगार सृजन में भी वृद्धि होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा–11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी निम्नवत है जिसके तहत निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैं:–

(1) प्रत्येक विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम आदेश निर्गत होने की तिथि से या उसके पश्चात से तीन वर्षों की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यम द्वारा उत्पादित या प्रदत्त उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीदों के न्यूनतम 20 प्रतिशत की खरीद करने के उद्देश्य से एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

(2) वार्षिक लक्ष्य के अन्तर्गत वृहद उद्यमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा लघु उद्योग निगम द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के संघ की उप संविदायें भी हैं।

(3) तीन वर्षों की अवधि के पश्चात न्यूनतम 20 प्रतिशत की खरीद के लक्ष्य को बाध्यकारी किये जाने के संबंध में पुनर्विलोकन समिति संस्तुति करेगी और तत्पश्चात सक्षम स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

(4) यदि कोई विभाग वार्षिक लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल होते हैं तो इस नीति के अधीन सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की अध्यक्षता में गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष इसके उचित कारण सिद्ध करने होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग वर्ग के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विशेष उपबन्ध–

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु 20 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्य मे विशेष उपबन्ध के अर्न्तगत एक उपलक्ष्य होगा जिसके अनुसार 20 प्रतिशत लक्ष्य में से 04 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं 05 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक /महिला विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय हेतु चिन्हित होंगे किन्तु निविदा प्रक्रिया के अनुसार (तकनीकी अर्हताएं, न्यूनतम मूल्य आदि) औपचारिकताएं पूर्ण न करने की दशा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला विकलांग वर्ग हेतु चिन्हित उद्यमों का उपलक्ष्य निविदा की औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले अन्य उद्यमों से पूर्ण किया जायेगा।

(ग) वार्षिक लक्ष्य में लक्ष्यों की रिपोर्टिंग–

(1) सूक्ष्म और लघु उद्यम से सरकारी खरीद के आंकड़े इस नीति के सशक्तीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक मंत्रालय या विभाग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम से किये जाने वाले क्रय के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों और उसमें की गयी उपलब्धि की सूचना अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देंगे।

(एच० एम० झा)
अनुसचिव
लघु उद्योग एवं निर्यात
प्रोत्साहन विभाग
उ० प्र० शासन।

(2) वार्षिक रिपोर्ट की सूचना विभिन्न विभागों या उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम विभाग को प्रदान की जायेगी।

(घ) निविदा में मूल्य कोटेशन–

(1) सूक्ष्म, एवं लघु उद्यमों से प्रोक्योरमेंट में ई–प्रोक्योरमेंट को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

(2) टेण्डर में सहभागी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिसने एल–1, 15 प्रतिशत के मूल्य बैण्ड के भीतर निविदा मूल्य अंकित किया है, उन्हें ऐसी परिस्थिति में जहां एल–1 मूल्य सूक्ष्म और लघु उद्यम के अतिरिक्त किसी और से हों, वहां उनके मूल्य को एल–1 मूल्य के स्तर पर लाकर एक भाग की आपूर्ति की अपेक्षाओं की अनुमति भी दी जायेगी और ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को कुल निविदा मूल्य के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

(3) टेण्डर के उपरान्त सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के पक्ष में निर्णय लेते समय गुणवत्ता के मानकों में किसी प्रकार की छूट इकाइयों को नहीं दी जायेगी और इस आशय का उल्लेख टेण्डर में स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

(4) ऐसे एक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मामलों में आपूर्ति को आनुपातिक रूप से (निविदा की गयी मात्रा तक) बांटा जायेगा।

(ङ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं का विकास–

विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम, विक्रेता विकास कार्यक्रम/क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित करते हुए आवधिक आवश्यकताओं के संबंध में एक विर्निदिष्ट के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ दर अनुबन्ध करते हुए उपयुक्त विक्रेता विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगें।

(च) वेबसाइट पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से प्रोक्योरमेन्ट के लिए वार्षिक योजना–

विभिन्न विभाग या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम क्रय के लिए वार्षिक प्रोक्योरमेन्ट योजना तैयार करेंगे और उसे अपने शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करेंगे ताकि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक प्रोक्योरमेंट की सूचना अनिवार्यतः विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी एवं जो प्रोक्योरमेंट वेबसाईट पर प्रदर्शित न होगी उसे नियम विरूद्ध श्रेणी में रखा जायेगा ताकि नीति के प्राविधानों का दुरूपयोग न हो।

(छ) सरकारी प्रोक्योरमेन्ट में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व लघु उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना–

सरकारी प्रोक्योरमेन्ट में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभाग या सरकारी उपक्रम निम्नलिखित कदम उठायेंगे–

(1) अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए विभागों/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों द्वारा विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम / क्रेता–विक्रेता बैठकें आयोजित की जायेगी।

(2) अनुसूचित जातियों या जनजातियों के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सम्मिलित करने के लिए लघु उद्योग निगम द्वारा संघ निर्माण की उसकी योजनाओं के अधीन पहुंच कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और,

(3) निगम अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए एक विशेष विन्डो खोलेगा।

(ज) अन्तरण लागत में कमी–

व्यवसाय चलाने की अन्तरण लागत में कमी लाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को किसी लागत के बिना निविदा सेट उपलब्ध कराके, अग्रिम धन के भुगतान से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छूट देकर निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–प्रोक्योरमेन्ट अपनाकर लघु उद्योग विभाग में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करके सुविधायें प्रदान की जायेगी।

(झ) प्रोक्योरमेन्ट के लिए विशिष्ट मदों का आरक्षण–

विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों के व्यापक फैलाव को समर्थ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से 358 मदों के प्रोक्योरमेन्ट को अपनाया गया है, को प्रदेश सरकार में भी अपनाया जायेगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु आरक्षित 358 आइटमों में से हैण्डीक्राफट्स आइटम की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के उद्यमियों से की जायगी जिससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, जिसके अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग भी है, के संबर्द्धन और विकास में मदद मिलेगी।

(ञ) पुनर्विलोकन समिति–

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्रोक्योरमेन्ट नीति की मानीटरिंग और पुनर्विलोकन के लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जायेगा–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग– अध्यक्ष

2– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो। – सदस्य

3– प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो। – सदस्य

4– संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो। – सदस्य

5– निदेशक, एम0एस0एम0ई0विकास संस्थान, कानपुर – सदस्य

6– आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति – सदस्य

7– आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग – सदस्य सचिव

उक्तानुसार गठित समिति का कार्य निम्नवत होगा–

(1) मामला दर मामला आधार पर 20 प्रतिशत के लक्ष्य से छूट देने के लिए मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के अनुरोध पर विचार करना।

(2) विशिष्ट खरीद के लिए आरक्षित 358 मदों की सूची की समीक्षा करना।

(एच0 एम0 श्री)
अनुसचिव
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग
उ0 प्र0 शासन।

(3) विभागों/उपक्रमों द्वारा निकाली गयी निविदाओं में अनुचित शर्तें लगाने सहित सरकारी प्रोक्योरमेन्ट के संबंध में सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करना।

(4) विभागों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की जाने वाली प्रोक्योरमेन्ट को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाले विशेष उपायों का सुझाव देना।

(ट) शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना–

सरकारी प्रोक्योरमेन्ट में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की शिकायतों के निस्तारण के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में एक शिकायत प्रकोष्ठ, जिसके अर्न्तगत एक टोल–फ्री काल सेंटर की स्थापना की जायेगी, का गठन किया जायेगा। इस प्रकोष्ठ में संबंधित विभागों/एजेन्सियों के सामने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उठाये गये सरकारी प्रोक्योरमेन्ट संबंधी मुद्दे उठाये जायेंगे, जिसके अन्तर्गत सरकारी विभागों/एजेन्सियों द्वारा निविदाओं में अनुचित शर्तें भी हैं जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अलाभप्रद स्थिति में रखते हैं।

(ठ) यह नीति रक्षा सामग्री के क्रय पर लागू नहीं होगी।

(ड) नीति के कार्यान्वयन में अनुभव की गयी किसी कठिनाई के संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा उपयुक्त प्रेस रिलीज के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जायेगा और पब्लिक डोमेन में रखा जायेगा।

———

(एस० एम० झा)
अनुसचिव
लघु उद्योग एवं निर्यात
प्रोत्साहन विभाग
उ० प्र० शासन।